यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा)उत्तराखण्ड,देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **खण्ड शिक्षा अधिकारी रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड** के 04/2015 से मार्च 2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुनील दत्त, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री जतिन राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 05.09.2018 से 10.09.2018 तक श्री एस०के० वर्मा, लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण में दिनांक 07.09.2018 से 10.09.2018तक सम्पादित किया गया।

## भाग-I

**1. परिचयात्मकः** इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2015 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: सम्पूर्ण रुड़की ब्लॉक जिला हरिद्वार, है इकाई का क्रियाकलाप जिले की समस्त योजनाओ का संचालन ब्लॉक स्तर पर किया जाना है कार्यालय का मुख्य कार्य माध्यमिक विधालयों का अनुश्रवन है

**(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

*(₹ लाख मे)*

| वर्ष | योजना का नाम | आवंटन | व्यय | व्यय अधिक्य (+) | बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 2202 | 0.77 | 0.47 | - | 0.30 |
| 2015-16 | 2202 | 0.40 | 0.35 | - | 0.05 |
| 2016-17 | 2202 | 0.64 | 0.62 | - | 0.02 |
| 2017-18 | 2202 | 0.62 | 0.61 | - | 0.01 |

**(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः**

*(₹ लाख मे)*

| वर्ष | योजना का नाम | प्राप्त ` | | व्यय ` | | | बचत | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GoI | State | GoI | State | Total | GoI | State |
| 2014-15 | | -nil- | | | | | | |
| 2015-16 | | | | | | | | |
| 2016-17 | | | | | | | | |
| 2017-18 | | | | | | | | |
| योग: | | | | | | | | |

**(स) कार्यक्रम/योजना/परियोजना के क्रियान्वयन मे संलग्न समितियों एवं एन०जी०ओ का विवरण:**

| S.No | Year | Name of Society/ NGO involved | Government expenditure through Society/NGO |
|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 2015-16 | ---nil--- | |
| 2 | 2016-17 | | |
| 3 | 2017-18 | | |

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई द्वारा प्राप्त धनराशि को केंद्र एवं राज्य से प्राप्तियों के रूप मे अलग अलग नहीं रखे जा रहे है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई “सी” श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है।

1. शिक्षा सचिव
2. महानिदेशक
3. निदेशक (माध्यमिक)
4. अपर निदेशक (माध्यमिक)
5. संयुक्त निदेशक (माध्यमिक)
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी
7. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
8. खण्ड शिक्षा अधिकारी

**(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण ब्लॉक **रुड़की,** जिला **हरिद्वार** है नमूना लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी **रुड़की, हरिद्वार,** उत्तराखंड की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। **माह मार्च 2016 एवं मार्च 2017** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। कार्यालय का कार्य जिले की समस्त योजनाओ का संचालन ब्लॉक स्तर पर किया जाना है खण्ड शिक्षा अधिकारी **रुड़की, हरिद्वार,** उत्तराखंड, कार्यालय का मुख्य कार्य माध्यमिक विधालयों का अनुश्रवन है ।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## भाग-दो(ब)

**प्रस्तर-01- रोकड़ बही का निर्धारित प्रारुप में रख-रखाव नही किया गया।**

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड –V पार्ट - I के नियम 27(ए) के अनुसार प्रत्येक कार्यालय द्वारा रोकड़ बही का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है। रोकड़ बही का प्रत्येक पृष्ट पर पृष्ट संख्या मशीन द्वारा मुद्रित होना चाहिये तथा रोकड़ बही के प्रथम पृष्ट पर रोकड़ बही के कुल पृष्ठों की गणना संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा अंकित होना चाहिये। रोकड़ बही की दैनिक एवं मासिक लेखाबंदी के उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा तिथि सहित हस्ताक्षर अंकित होना चाहिये।

खण्ड शिक्षा अधिकारी रुड़की, हरिद्वार, की विस्तृत जांच हेतु चयनित माह की रोकड़ की जांच मे पाया गया कि रोकड़ बही निर्धारित प्रपत्र मे नहीं बनायी गयी थी एक साधारण पंजिका मे रोकड़ बही का रख-रखाव किया जा रहा था रोकड़ बही मे सफेदा का प्रयोग किया गया था तथा कटिंग व ओवर राइटिंग की गयी थी। एक पृष्ट पर एक से अधिक माह कि प्रविष्टियाँ की गयी थी ,मासिक लेखाबंदी नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि भविष्य मे अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा । विभागीय उत्तर से स्वत: स्पष्ट है कि रोकड़ बही का रख-रखाव निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं किया रहा है। अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

## <u>भाग-III</u>

**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:**

| क्रमांक | प्रतिवेदन संख्या | भाग दो अ | भाग दो ब | नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है | | | | |

**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः**

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है | | | | |

## <u>भाग-IV</u>

### इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------------शून्य-----------

**<u>भाग-V</u>**

**<u>आभार</u>**

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी **रुड़की, हरिद्वार,** उत्तराखंड, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है, तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

**-शून्य-**

2. **सतत् अनियमितताएः**

-शून्य-

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

| **क्रम सं0** | **नाम** | **पदनाम** | **अवधि** |
|---|---|---|---|
| 1。 | श्री श्रीकांत पुरोहित | खण्ड शिक्षा अधिकारी | सम्पूर्ण लेखापरीक्षा अवधि |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी **रुड़की, हरिद्वार,** उत्तराखंड, को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, “महालेखाकर भवन” कौलागढ़, देहरादून-248195 को प्रेषित कर दी जांय।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.**